3361
26/4/16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. निगरानी आयुक्त, मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–201 दिनांक 09.02.2010
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का आदेश सं0–6195 दिनांक 13.10.2010, संकल्प सं0–6196 दिनांक 13.10.2010 एवं पत्रांक– 6762 दिनांक 14.11.2011
3. श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक– 1781 दिनांक 22.09.2011

श्री राम कुमार मंडल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक– 637/03, गृह जिला– दरभंगा, बिहार), तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांझी, राँची के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 201 दिनांक 09.02.2010 के द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप प्रतिवेदित किया गया है। श्री मंडल के विरूद्ध आरोप है कि इनके द्वारा अंचल अधिकारी, ओरमांझी के पद पर पदस्थापन अवधि में अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद–बिक्री की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 08 राजस्व वादों में दी गयी है एवं निगरानी थाना कांड सं0– 26/2008 के नामजद अभियुक्त श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है तथा जनजातीय हितों के प्रति उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त आरोपों के लिये श्री मंडल को विभागीय आदेश सं0– 6195 दिनांक 13.10.2010 द्वारा तत्कालीक प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय संकल्प सं0– 6196 दिनांक 13.10.2010 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1781 दिनांक 22.09.2011 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक– 6762 दिनांक 14.11.2011 द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए वृहद दण्ड के अधिरोपण हेतु श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मंडल के पत्र, दिनांक 19.12.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के संबंध में समर्पित जवाब की

समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प सं0–947, दिनांक 02.02.2012 द्वारा श्री मंडल को संकल्प निर्गत की तिथि से निलम्बन मुक्त करते हुए इनपर निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

1. इनकी तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक,
2. प्रोन्नति की देय तिथि से अगले तीन वर्षों तक इनकी प्रोन्नति बाधित,
3. निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री मंडल के पत्र, दिनांक 02.04.2012 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनका कहना है कि सी0एन0टी0 एक्ट की धारा–46 में उल्लेखित Resident (स्थानीय) शब्द को एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए अन्य अधिनियमों में स्थानीय की जो परिभाषा दी गयी है, वही परिभाषा सी0एन0टी0 एक्ट के मामले में भी लागू माना जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर Income Tax Act का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 180 दिनों तक किसी स्थान पर रहता है, तो उस स्थान विशेष के लिए वह स्थानीय माना जायेगा। संविधान में भी स्थानीय को Place of birth या Domicile के रूप में नहीं देखा गया है। दस्तावेजों के अनुसार श्रीमती मेनन एक्का जमीन क्रय करने के समय ओरमांझी पुलिस स्टेशन, जिला राँची के अन्तर्गत करमा गाँव में रह रही थी। इसलिए इनके द्वारा श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ नहीं पहुँचाया गया है।

श्री मंडल द्वारा अपने अपील में जो शेष तथ्य समर्पित किये गये हैं, उनके द्वारा ये तथ्य पूर्व में भी अपने बचाव बयान एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में समर्पित किये गये हैं।

श्री मंडल द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके विरूद्ध आरोपों का केन्द्र बिन्दु है सी0एन0टी0 एक्ट की धारा–46 में उल्लेखित शब्द 'स्थानीय'। यह स्थानीय शब्द विवादित है। सी0एन0टी0 एक्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक्ट है, इसलिए श्री मंडल के अपील पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंतव्य प्राप्त करने एवं स्थानीय शब्द की व्याख्या हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

श्री कार्तिक कुमार प्रभात, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची के सदृश मामले भी "Resident" की व्याख्या की अपेक्षा राजस्व विभाग से की गयी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड के माध्यम से विषयगत मामले में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श निम्नवत् है :–

"In the case of Shasthi Pado Shekhar Vs. Anandi Chowdhary reported in AIR 1967 Patna at page-25, wherein it has been reiterated that the word Resident as used in section-46 of the CNT Act meant one having a permanent place of Abode and did not include temporary or occasional residence."

विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में विषयगत मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–947, दिनांक 02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध की गई अपील में Resident (स्थानीय) शब्द की व्याख्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंतव्य के आलोक में भिन्न है तथा अपील में इनके द्वारा उक्त के अतिरिक्त कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन कर 8 राजस्व वादों में श्रीमती मेनन ऐक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाने का पूर्व में गठित विभागीय निष्कर्ष सही है।

समीक्षोपरांत, **श्री मंडल का अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राम कुमार मंडल, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25.4.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5 / आरोप–1–558 / 2014 का०–3361 / राँची, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25.4.16

सरकार के उप सचिव।